

2020/00283

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपील	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट
श्री प्रागाराम पुत्र का बनाराम जाति कलबी निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा
किस्म मुकदमा- स्थगन प्रार्थना-पत्र		मुकदमा नं. 29 वर्ष 2020
दिनांक हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुवम की तामिल में जारी हुए
22.10.2020	प्राथी ने यह स्थगन प्रार्थना-पत्र नायबतहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा सं. 78/2019 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2019 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के साथ-साथ धारा 81 के तहत यह स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्राथी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा की एक पक्षीय बहस सुनी गई, सुविधा का अनुमति प्राथी के पक्ष में होने से नायबतहसीलदार पिण्डवाडा के निर्णय में सजा के आदेश की क्रियान्विति में अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है। प्राथी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.10.2020 को पेश हो। जिला कलक्टर, सिरौही	
22.10.2020	अपीलांत/प्राथी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांत की अपील में सिविल कारावास की सजा निरस्त करने का निर्णय आज हो चुका है। अतः इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरौही	

